अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0..............................से..............................तक

जिला..............................., सं0..............................., सन् १६..............................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपुर्ति अपील वाद संख्याः 405/2013

संजय पासवान — अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य सरकार — रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 13.07.2013 ई0 अन्दर आपूर्ति अपील वाद संख्याः 1/13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत– मुरली वसंतपुर के एक ज०वि०प्र० के दुकानदार हैं जिनका अनुज्ञप्ति संख्याः 16/96 (पुराना) वो 567/07 (नया) है। जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा दिनांक 06.05.2010 को आयोजित जनता दरबार में श्री हृदय पासवान एवं अन्य, सा0 बासुदेवा, भुसवरडीह, पंचायत– मुरली बसंतपुर, प्रखंड –कहरा द्वारा श्री संजय पासवान, ज0 प्र0 विकेता, पंचायत– मुरली बसंतपुर, प्रखंड– कहरा के विरूद्ध एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें कतिपय आरोप लगाये गये थे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विषयवस्तु की सम्यक् जॉच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुपापन पदाधिकारी, सदर, सहरसा ने अपने कार्यालय के पत्रांक 445–2 दिनांक 27.08.11 के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा को आदेशित किया वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा द्वारा अपने पत्रांक 235/सपत्र दिनांक 01.11.2012 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को समर्पित किया गया जिसमें विकेता श्री पासवान के विरूद्ध निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी–

1. जॉच के समय ज०वि०प्र० बिक्रेता की दुकान बंद पायी गयी।

2. दुकान बंद रहने के संबंध में विधिवत् कोई सूचना, सूचना पट्ट पर संधारित

नहीं पायी गयी।

3. बिक्रेता श्री पासवान के द्वारा माह–जनवरी, फरवरी, अप्रैल एवं मई–2012 के लिए बी०पी०एल० गेहूँ मद की राशि पे–इन–स्लिप के माध्यम से नियमानुसार जमा नहीं की गयी।

4. बिक्रेता द्वारा जनवरी, 2012 एवं मार्च, 2012 के लिए बी०पी०एल० चावल मद की राशि पे–इन–स्लिप के माध्यम से नियमानुसार जमा नहीं की गयी।

5. बिक्रेता श्री पासवान द्वारा माह–फरवरी, अप्रैल, मई–2012 के लिए बी०पी०एल० चावल का उठाव कर लेने के उपरांत भी उसे सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के बीच आपूरित नहीं किया गया।

6. बिक्रेता द्वारा अन्त्योदय योजना का खाद्यान्न माह–जनवरी, 2012 से मई, 2012 तक उठाव कर लिए जाने के बावजूद माह–जनवरी, फरवरी, मार्च एवं मई–2012 का खाद्यान्न लाभुकों को आपूरित नहीं किया गया।

7. बिक्रेता श्री पासवान द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्न की राशि जमा नहीं करना, सरकार द्वारा लक्षित जन प्रणाली बिक्रेताओं के माध्यम से गरीबों के लिए क्रियान्वित की जा रही संवेदनशील लोक कल्याणकारी योजनाओं को विफल करने की मंशा को प्रकट करता है।

8. बिक्रेता श्री पासवान द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्न की राशि जमा नहीं करना, सरकार द्वारा लक्षित जन प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से गरीबों के लिए कियान्वित की जा रही संवेदनशील लोक कल्याणकारी योजनाओं को विफल करने की मंशा को प्रकट करता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञापन प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदधिकारी, सदर सहरसा के ज्ञापांकः 495–2 दिनांकः 27/11/12 द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त पत्र अपीलार्थी को करीब एक माह के उपरांत दिनांकः 24.12.12 को हस्तगत कराया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं उपरोक्त आरोपों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 26.12.12 को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के समक्ष अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा अपीलार्थी द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर अपने ज्ञापांकः 522–2 दिनांकः 31.12.12 द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध निम्न न्यायालय में वाद संख्याः 1/13 दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया तदोपरान्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कहरा द्वारा अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अनुज्ञापन प्राधिकार, सदर, सहरसा को समर्पित किया गया, परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी से किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की मांग नहीं की गई जो कि विधि के प्रावधान के अनुसार आवश्यक है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि स्पष्टीकरण में दो मुख्य आरोप क्रमशः 3, 4 एवं 5 तथा 6 हैं। क्रमांक 5 एवं 6 पर अंकित आरोपों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के कंडिका 5 एवं 6 द्वारा अपना तथ्य स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि उन्होनें कूपन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया है एवं तत्संबंधी कूपन कार्यालय में भी जमा किया जा चुका है अतएव यहाँ कालाबाजारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि

स्पष्टीकरण के क्रमांक 3 एवं 4 पर उल्लेखित आरोपों के आधार पर अपीलार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है जैसा की उन्होंने समर्पित स्पष्टीकरण के पारा नं० 3,4 एवं 7 पर भी उल्लेख किया है तथा प्रधान सचिव के पत्रांक: 5817 दिनांक:12.09.2012 द्वारा भी अनुज्ञापन प्राधिकार को यह निदेश दिया गया है कि *"वैसे विक्रेता जिनके द्वारा संबंधित माह के आवंटन के विरुद्ध खाद्यान्न का मूल्य जमा किया गया है और राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई तो इस स्थिति में संबंधित विक्रेता द्वारा अगले माह का खाद्यान्न का मूल्य जमा नहीं करने के लिए उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।* अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आरोप के संबंध में अपने स्पष्टीकरण के क्रमांक 7 पर यह उल्लेख किया गया है कि **"पूर्व से कई माह का खाद्यान्न का पैसा जमा रहने तथा खाद्यान्न का उठाव नहीं होने के कारण पैसा के अभाव में कुल माह का पैसा जमा नहीं किया जा सका इसमें विफल करने की कोई मंशा नहीं है।"**

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि *विकेता श्री पासवान के द्वारा माह– फरवरी, अप्रैल एवं मई 2012 के लिए बी0 पी0 एल0 चावल एवं अन्त्योदय योजना का माह –जनवरी 2012 से लेकर मई 2012 तक का खाद्यान्न उठाव कर लेने के बावजूद लाभुकों को नहीं दिये जाने के प्रसंग में उनके द्वारा कोई सफाई नहीं दी गयी। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नन्यायालय के समक्ष यह कहना कि अपीलार्थी को कालाबाजारी करने के जुर्म में न तो गिरफ्तार किया गया और न ही खाद्यान्न जप्त किये गये, जिससे विकेता के विरूद्ध कालाबाजारी करने का आरोप सिद्ध नहीं हो सका है यह दलील स्वीकार्य – योग्य नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न उठाव कर लेने के उपरान्त वितरित नहीं किया जाना और न ही खाद्यान्न विकेता के भंडार में भंडारित पाया जाना स्वयंमेव सिद्ध करता है कि प्रश्नगत खाद्यान्न विकेता श्री पासवान द्वारा कालाबाजारी कर ली गयी है आगे यह भी कहा गया है कि विभागीय निदेश के अनुसार विकेता को किसी भी कारणवश दूकान बंद रखने की पूर्व सूचना विभागीय पदाधिकारी को देना आवश्यक होता है। जॉच की तिथि को दूकान बंद रखने की पूर्व सूचना बिकेता द्वारा विभागीय पदाधिकारी को नहीं दी गयी थी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उठाव – वितरण पंजी मांगे जाने पर बिकेता श्री पासवान द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि बिकेता श्री पासवान अपने द्वारा की गई अनियमितता को छुपाना चाहते हैं। वरीय पदाधिकारी को जॉच में सहयोग नहीं करना भी अपराध की श्रेणी में आता है साथ ही वरीय पदाधिकारी को पंजी उपलब्ध नहीं कराना विभाग की अधिसूचना 601 दिनांक 15.02.07 का उल्लंघन है।*

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी,–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर सहरसा ने विभागीय पत्रांक 5738 दिनांक 23.06.2011 के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई विभागीय नियमानुसार की है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजात/साक्ष्यों/सबुतों तथा उनके विद्वान अधिवक्ता के बयानों को सुनने, प्रशासनिक जॉच– प्रकिया पूरी करने इस प्रकार अपीलार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील नामांकन स्तर पर ही अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा